



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

DEFENCE R&D ORGANISATION

सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1250

मद/FOR ITEM: प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (वायुयान के फायर एक्चुएटिंग यूनिट) /
Printed Circuit Board (for Fire Actuating Unit)

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स कालसी माईक्रोमेजरमेन्ट एण्ड इंस्ट्रुमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, के-35 साइट III, पंकी इंडस्ट्रियल एरिया, कानपुर - 208 022 द्वारा विकसित तथा उत्पादित "रशियन पीसीबी सं.डीएम-22-57-00 के स्थान पर देशज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंब्ली पार्ट सं.कालसी-बी1- 2ए" को एएन-32 वायुयान के फायर एक्चुएटिंग यूनिट में प्रयोग हेतु, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(कानपुर) के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल सं.एएन-32/बी1-2ए/1.0 दिनांक 06.11.2000 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह उत्पाद परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कंप्लायन्स स्टेटमेन्ट में विवरित टेस्ट शेड्यूल सम्बंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Printed Circuit Board Part No. Kalsi-B1-2A" in lieu of Russian PCB No.DM-22-57-00, developed and manufactured by M/s Kalsi Micromasurement & Instrumentation Pvt Ltd, K-35, Site III, Panki Industrial Area, Kanpur-208022, is hereby approved for production for use on Fire actuating unit of AN-32 aircraft. It has been tested as per test schedule No. AN-32/B1-2A/1.0 dated 06.11.2000, in co-ordination with RCMA (Kanpur). The product has met the requirements of the test schedule as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix-'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के बाद उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी रद्द हो जाती है। ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये।

The Provisional Clearances accorded to the product shall stand cancelled after the issuance of this Type Approval. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है तथा सभी उत्पादित बैचों के परीक्षण रिपोर्टों को अग्रेषित किया जाता है।

This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by QAS OF IAF / competent government inspection authority.

4. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2011 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(कानपुर), द्वारा एचएएल कानपुर प्रभाग, कानपुर 208 008 से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2011 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request CEMILAC through RCMA(Kanpur), C/o HAL Kanpur Division, Kanpur-208 008, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बेंगलूर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record Compliance Statement enclosed are effected.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1250

दिनांक/Date : 08 Dec 2006

फेक्स सं/Fax No : 080-5230856

Kbis
(कंचन बिस्वास/KANCHAN BISWAS)
स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Offg Chief Executive (Airworthiness)

30 11-06